



## शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिये नीतिआयोग ने पैनल गठित किये

### प्रलिस के लिये:

पेरिस समझौता, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, COP26, COP 27, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC), शुद्ध शून्य, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, जैव ईंधन, नीतिआयोग

### मेन्स के लिये:

2070 तक नेट-जीरो हासिल करने के लिये नीतिआयोग की कार्य योजना, पेरिस जलवायु समझौता और इसके प्रभाव।

[स्रोत: बजिनेस स्टैंडर्ड](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीतिआयोग ने वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य (Net-Zero) अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नीतियों को तैयार करने और रोडमैप बनाने के लिये समर्पित बहु-क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है।

- भारत द्वारा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य की घोषणा के 3 वर्ष बाद यह शुरू किया गया है।

### नीतिआयोग द्वारा गठित कार्यसमूहों के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं?

- **परिचय:**
  - नीतिआयोग ने 6 कार्य समूह बनाए हैं। ये समूह मैक्रोइकोनॉमिक संकेतक, जलवायु वित्त, महत्त्वपूर्ण खनजिों और ऊर्जा संक्रमण के सामाजिक पहलुओं जैसे मुख्य क्षेत्रों के लिये नीति प्रारूप, कार्य मॉडल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
  - यह परविहन, उद्योग, भवन, वदियुत एवं कृषि पर क्षेत्रीय समितियाँ भी बनाएगा।
- **6 शुद्ध-शून्य कार्य समूह:**
  - **मैक्रोइकोनॉमिक संकेतक:** यह मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों पर शुद्ध-शून्य मार्गों के नहितार्थों की जाँच करेगा और संरक्षित मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों का सुझाव देगा।
  - **जलवायु वित्त:** शमन और अनुकूलन के लिये भारत की जलवायु वित्त आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और वित्त के संभावित स्रोतों की पहचान करना।
  - **महत्त्वपूर्ण खनजि:** महत्त्वपूर्ण खनजिों के लिये अनुसंधान एवं विकास, घरेलू वनिरमाण और आपूर्ति शृंखला का नरिमाण करना।
  - **ऊर्जा संक्रमण के सामाजिक पहलु:** ऊर्जा संक्रमण के सामाजिक प्रभावों का आकलन करना और शमन रणनीतियों को प्रस्तावित करना।
  - **नीतियों का समन्वयन:** क्षेत्रीय समितियों की रिपोर्टों को एकत्रित करना और एक समेकित नीति पुस्तिका तैयार करना।
  - **क्षेत्रीय समितियाँ:** वदियुत, उद्योग, भवन, परविहन एवं कृषि क्षेत्रों के लिये संक्रमण मार्ग तैयार करना।
- **अपेक्षित परिणाम:**
  - सभी कार्य समूहों के लिये अपनी कार्ययोजनाएँ प्रस्तुत करने की समय-सीमा अक्टूबर, 2024 है। नीतिआयोग की रिपोर्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि यह सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिये जलवायु-लचीली और अनुकूल नीतियों का मसौदा तैयार करने के लिये एक नीति पुस्तिका (Policy Handbook) बनेगी, ताकि वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

### शुद्ध-शून्य लक्ष्य क्या है?


- शुद्ध-शून्य से तात्पर्य उत्पादित कार्बन उत्सर्जन और वायुमंडल से नषिकाषित कार्बन के बीच एक समग्र संतुलन हासिल करना है।
  - इसे कार्बन तटस्थता कहा जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर ले आएगा।
  - इसके अतिरिक्त वनों जैसे अधिक कार्बन सकि का नरिमाण कर उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है।

- वायुमंडल से गैसों को नषिकाषति करने के लिये **कार्बन कैपचर और स्टोरेज** जैसी भविष्य की तकनीकों की आवश्यकता है।
- 70 से अधिक देशों ने वर्ष 2050 तक **शुद्ध शून्य** लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है।

# भारत की जलवायु परिच्छेदिका/प्रोफाइल

## क्षेत्रवार योगदान

- प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्र: ऊर्जा, परिवहन, निर्माण



- प्रमुख जलवायु जोखिम: बाढ़, सूखा, हीटवेव, कोल्डवेव और चक्रवात
- कमज़ोर क्षेत्र: कृषि और खाद्य, जल, तटीय, स्वास्थ्य, वन और अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र

## जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रमुख पहल

- राष्ट्रीय नीतिगत ढाँचा
  - जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)
  - जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC)
- भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (वर्ष 2022)
  - 'जीवन' के लिये जन आंदोलन - 'पर्यावरण के लिये जीवन शैली'
  - आर्थिक विकास हेतु जलवायु-अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाना
  - वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य
  - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता
  - 2.5 से 3 बिलियन टन CO<sub>2</sub> का अतिरिक्त कार्बन सिंक
  - विशिष्ट क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से अपनाना
  - घरेलू और नई एवं अतिरिक्त निधियाँ एकत्रित करना

- क्षमताओं का निर्माण करना, घरेलू ढाँचा और अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला तैयार करना

## अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता - UNFCCC (1994) कन्वेंशन और समझौते

- पेरिस समझौता (2015)
- क्योटो प्रोटोकॉल (2005)

## द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग

### द्विपक्षीय परियोजनाएँ

- ड्यूश गेसेलशाफ्टफ्यूर इंटरनेशनल जुसामेनरबीट (GIZ) GmbH (जर्मनी)
  - ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन और वित्त (CAFRI) (वर्ष 2020-2023)
  - राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त शमन कार्रवाई (NAMAs) (वर्ष 2007)
  - ग्लोबल कार्बन मार्केट (GCM) (वर्ष 1997)
  - जलवायु परिवर्तन अध्ययन और कार्रवाई पर क्षमताओं का संस्थागतकरण (ICCC)
- यूरोपीय संघ (EU)
  - पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिये रणनीतिक साझेदारी (SPIPA) (वर्ष 2018-2022)
  - इको-सिटीज़ के लिये स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ और ऊर्जा दक्षता

### बहुपक्षीय परियोजनाएँ

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (वर्ष 2019)
- अनुकूलन पर वैश्विक आयोग (GCA) (2018)
- UNDP: राज्य-स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बाज़ार परिवर्तन और बाधाओं को दूर करना



## शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिये भारत की पहल क्या हैं?

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना: इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सरकारी अभिकर्ताओं, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे निपटने के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है।
- भारत ने **कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिज-26 (COP)** ग्लासगो शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शून्य तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- इसके लिये भारत ने 5-आयामी '**पंचमतिर**' जलवायु कार्रवाई लक्ष्य की रूपरेखा तैयार की:
  - वर्ष 2030 तक **500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा** क्षमता तक पहुँच।
  - वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का **50% नवीकरणीय ऊर्जा** से आपूर्ति करना।
  - अभी से वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में **1 बिलियन टन की कमी**।
  - वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष **2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी**।
  - वर्ष **2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन** के लक्ष्य को प्राप्त करना।

# जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

## जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

## UNFCCC द्वारा

### समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
  - अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
  - स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
  - इसके अंतर्गत कोष- अल्प विकसित देश कोष (LDCF) और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)
- दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
  - कानकून समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
  - पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- लॉस एंजलिस डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमजोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

## विश्व बैंक के

### अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

### जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
<ul style="list-style-type: none"><li>राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)</li><li>राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>कमजोर भारतीय राज्यों के लिये</li><li>स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को खत्म करना</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्य</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>वैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है</li></ul>

## जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलाना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।



Drishti IAS

## शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिये भारत द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- कार्बन पृथक्करण को बढ़ाना:** भारत अपने **वन एवं वृक्ष आवरण** का वसतिार करके, बंजर भूमि को बहाल करके, कृषिवानिकी को बढ़ावा देकर और **न्यून कार्बन वाली कृषिपद्धतियों** को अपनाकर अपनी **कार्बन पृथक्करण** क्षमता को बढ़ा सकता है।
  - कार्बन पृथक्करण न केवल उत्सर्जन को कम कर सकता है, बल्कि **जैवविविधता संरक्षण**, **मृदा उर्वरता में सुधार**, **जल सुरक्षा**, **आजीविका सहायता** और **आपदा जोखिम** में कमी जैसे कई सह-लाभ भी प्रदान कर सकता है।
- जलवायु अनुकूल बनाना:** भारत अपनी **आपदा प्रबंधन प्रणालियों** को मजबूत करके, प्रारंभिक चेतावनी और पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार कर सकता है साथ ही जलवायु-सह्य बुनियादी ढाँचे में निवेश करके, **जलवायु-स्मार्ट कृषि**, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में वृद्धि कर स्थानीय समुदायों एवं संस्थानों को सशक्त बनाकर जलवायु के अनुकूल बना सकता है।
- भारत की हरति परिवहन क्रांति को आगे बढ़ाना:** एक बेहतरीन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क स्थापित करके और EV अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर **इलेक्ट्रिक वाहनों (EV)** को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - इलेक्ट्रिक बसों, साइकल गतिशीलता सेवाओं और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणालियों जैसे **अभिनव सार्वजनिक परिवहन समाधानों** को पेश करके भीड़भाड़ और उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।
- जलवायु स्मार्ट कृषि: जैविक खेती, कृषिवानिकी और परशुध कृषि** को बढ़ावा देकर **सतत कृषि की वधियों** को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
  - रिमोट सेंसिंग, IoT डेटाबेस और AI-आधारित एनालिटिक्स** जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को एकीकृत करने से संसाधन उपयोग को अनुकूलित किया जा सकता है, जल की खपत को कम किया जा सकता है और फसल उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** भारत विकसित देशों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों के माध्यम से **उन्नत स्वच्छ प्रौद्योगिकियों** को

प्राप्त करके, अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त को सुरक्षित करके और अन्य विकासशील देशों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके अंतरराष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठा सकता है।

?????? ???? ????:

'वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिज्ञा' पर चर्चा कीजिये। भारत की सतत विकास प्राथमिकताओं के लिये इस प्रतिबद्धता के प्रमुख नीतिगत उपायों और नहितार्थों पर भी चर्चा कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. 'अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (Intended Nationally Determined Contributions)' पद को कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? (2016)

- युद्ध-प्रभावित मध्य-पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये यूरोपीय देशों द्वारा दिये गए वचन
- जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य-योजना
- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक) की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी योगदान
- धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य-योजना

उत्तर: (b)

प्रश्न. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- भारत में 'जलवायु-स्मार्ट ग्राम (क्लाइमेट-स्मार्ट वल्लिज)' दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम-जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (सी.सी.ए.एफ.एस.) द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है।
- सी.सी.ए.एफ.एस. परियोजना, अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह (सी.जी.आई.ए.आर.) के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है।
- भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.), सी.जी.आई.ए.आर. के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'हरित भारत मिशन' के उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है/करते हैं? (2016)

- पर्यावरणीय लाभों और लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में शामिल करते हुए, इसके द्वारा हरित लेखांकन (ग्रीन अकाउंटिंग) को अमल में लाना।
- कृषि उत्पाद के संवर्द्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना जिससे भविष्य में सभी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो।
- वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्द्धन करना तथा अनुकूलन एवं शमन उपायों के संयोजन से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- केवल 1
- केवल 2 और 3
- केवल 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

**?????**

**प्रश्न.** संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं ? (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/niti-aayog-panels-to-achieve-net-zero-goal>

